भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3185**

**11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न**

**उचित मूल्य की दुकानों (एफ़पीएस) का आधुनिकीकरण**

**3185. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों (एफ़पीएस) के आधुनिकीकरण का उद्देश्य पारंपरिक, कागज आधारित राशन की दुकानों को कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम "जन पोषण केंद्रों" (पोषण केंद्र) में बदलना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में उचित मूल्य की दुकानों (एफ़पीएस) की संख्या और प्रतिशत का ब्यौरा क्या है जिन्हें डिजिटल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों से लैस किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने रिसाव रोकने और लाभार्थी के अनुभव को बेहतर बनाने पर एफपीएस डिजिटलीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एफपीएस की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और खाद्यान्न वितरण से परे सेवाओं का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) से (ङ):** प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के अंतर्गत और टीपीडीएस में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों का डाटाबेस पूरी तरह से (100%) डिजीटल कर दिया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर निगरानी के लिए, 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 99.8% अर्थात 5.50 लाख दुकानों को ई-पीओएस उपकरणों द्वारा स्वचालित कर दिया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) किया जा सके।

**(च):** टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उपखंड (7) के तहत उचित दर दुकान के मालिक का मार्जिन तय करना राज्य सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है, और उचित दर दुकानों के संचालन की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

...2/-

केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और प्रबंधन तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए ही सहायता प्रदान करती है। इन नियमों में व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी का पैटर्न भी निर्धारित है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ाया गया है:

| राज्यों की श्रेणी | एफपीएस मार्जिन का घटक | पूर्व-संशोधित मानदंड (प्रति क्विंटल रुपये में दर) (दिनांक 31 मार्च, 2022 तक) | संशोधित मानदंड (प्रति क्विंटल रुपये में दर) (दिनांक 1.4.2022 से प्रभावी) |
|---|---|---|---|
| सामान्य श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | परिवहन एवं रखरखाव | 65 | 70 |
| | एफपीएस डीलरों का मार्जिन | 70 | 90 |
| | अतिरिक्त मार्जिन | 17 | 21 |
| विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | परिवहन एवं रखरखाव | 100 | 105 |
| | एफपीएस डीलरों का मार्जिन | 143 | 180 |
| | अतिरिक्त मार्जिन | 17 | 26 |

विशेष श्रेणी के राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी राज्यों के सात राज्य शामिल हैं।

राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में निर्दिष्ट दरों या राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किए गए व्यय की औसत दर, दोनों में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

इसके अलावा, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त डीलर मार्जिन के भुगतान को ई-पीओएस उपकरणों को ई-वजन तराजू के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता से जोड़ दिया है। यह उपाय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस एकीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों को उनके पात्र खाद्यान्न की सही मापी गई मात्रा प्राप्त हो।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए सरकार का प्रयास रहा है। इसके लिए एफपीएस डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और एफपीएस में मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से लाभार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा रहा है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एफपीएस के माध्यम से पहल करने का अनुरोध किया है, जैसे कि बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किलो) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री, अन्य वस्तुओं/सामान्य स्टोर की वस्तुओं की बिक्री आदि।

...3/-

विभाग ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, ताकि उन्हें आवश्यक उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन कौशल से लैस किया जा सके। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन और बुनियादी पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों के लगभग 325 एफपीएस डीलरों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस आउटलेट जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है।

*****